



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251112  
CG-DL-E-03012024-251112

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945

No. 10]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (764).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

### अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 9809 (भाग 2) : 2019 गैस सिलेंडर — रिफिल योग्य सीमलेस स्टील गैस सिलेंडर और ट्यूब के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण भाग 2 1 100 एमपीए से अधिक या इसके समतुल्य तन्य शक्ति के साथ शमित और दृढीकृत इस्पात सिलेंडर और ट्यूब	22 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	आई एस/आई एस ओ 11515 : 2022 गैस सिलेंडर — 450 लीटर और 3 000 लीटर के बीच जल क्षमता के रिफिल योग्य संमिश्र प्रबलित ट्यूब — डिजाइन, निर्माण और परीक्षण	22 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 18538 (भाग 1) : 2023/आई एस ओ 19880-1 : 2020 गैसीय हाइड्रोजन — फ्यूलिन्ग स्टेशन भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ	22 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./664/2023-24]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26 December 2023

**Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (764).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

**SCHEDULE**

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 9809 (Part 2) : 2019 Gas Cylinders — Design, Construction and Testing of Refillable Seamless Steel Gas Cylinders and Tubes Part 2 Quenched and Tempered Steel Cylinders and Tubes with Tensile Strength Greater than or Equal to 1 100 MPA	22 December 2023	NA	NA
2	IS/ISO 11515 : 2022 Gas Cylinders — Refillable Composite Reinforced Tubes of Water Capacity between 450 L and 3 000 L — Design, Construction and Testing	22 December 2023	NA	NA
3	IS 18538 (Part 1) : 2023/ISO 19880-1 : 2020 Gaseous Hydrogen — Fuelling Stations Part 1 General Requirements	22 December 2023	NA	NA

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./664/2023-24]